

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
क्रमांक: एफ. 2(28) खा.वि./स्था.प्र./2001/01284

जयपुर, दिनांक हस्ताक्षरित

स्वैच्छिक सेवानिवृति आदेश

श्री प्रद्युमन सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, उदयपुर, जिनकी जन्मतिथि 11.07.1970 व राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक 29.10.2001 है, उनके आवेदन पत्र दिनांक 17.10.2025 द्वारा राजकीय सेवा से दिनांक 19.01.2026 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही गई है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (3-बी) के अंतर्गत श्री प्रद्युमन सिंह, प्रवर्तन अधिकारी की स्वैच्छिक सेवानिवृति दिनांक 19.01.2026 से स्वीकृत की जाती है।

वित्त विभाग (नियम) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6) वित्त/नियम/2008, दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रद्युमन सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, उदयपुर के विरुद्ध विभागीय अभिलेखानुसार आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य)

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, उदयपुर।
5. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
7. जिला रसद अधिकारी, उदयपुर।
8. श्री प्रद्युमन सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, उदयपुर।
9. विभागीय जांच शाखा / गोपनीय प्रतिवेदन शाखा।
10. रक्षित पत्रिका।